18.02.2022	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूपालसिंह बालावत जरिए वकालतनामा के उपस्थित। अप्रार्थी उपखण्ड अधिकारी शिवगंज अनुपस्थित। श्री नरेश कुमार, श्री श्रवण कुमार व अन्य की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया उपस्थित। श्री नरेश कुमार व अन्य के द्वारा दिनांक 04.02.2022 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिवगंज में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 01/2021 अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अनवान श्री दरजाराम बनाम श्री ओबाराम व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिवगंज से अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने का निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस इस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं करते हुए उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु सहमति प्रदान की। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिवगंज में विचाराधीन वाद संख्या 01/2021 अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अनवान श्री दरजाराम बनाम श्री ओबाराम व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही में स्थानान्तरित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर,सिरोही Signature Not Verified Digitally signed by Bhanwar Lal Date: 2022.04.20 16:13:56 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with CamScanner